

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता-हिन्दी के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी की आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पदस्थापन स्थान (राउमावि)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	पुष्कर नारायण शर्मा, पुष्कर अजमेर	21.04.1959	30/04/2019
2	शंकर लाल खाती, राजियावास अजमेर	01.09.1959	31/08/2019
3	राधेश्याम शर्मा, दौलतपुरा-प्रथम, मसूदा अजमेर	01.06.1959	31/05/2019
4	महेश चन्द्र शर्मा, बनौरा धौलपुर	05.01.1959	31/01/2019
5	वीर सिंह पिपरीन, धौलपुर	31.01.1960	31/01/2020
6	मालाराम परमार, साथू जालौर	01.07.1959	30/06/2019
7	गुलबाई बारवाल, बा0 खिरनी स0मा0	25.03.1959	31/03/2019
8	शिव भगवान चेजारा, सिहोडी, सीकर	15.03.1959	31/03/2019
9	श्रीमती नीलोफर, बा0 कैथून कोटा	02.01.1959	31/01/2019
10	सुबे सिंह यादव, ठाठवाडी झुंझुनू	21.01.1959	31/01/2019
11	श्रीमती शारदा देवी, मोटासर खून, श्रीगंगानगर	05.01.1959	31/01/2019
12	सुभाष चन्द्र, झाडोल उदयपुर	15.01.1959	31/01/2019
13	सवाई राम चौधरी, राजमथाई जैसलमेर	01.04.1959	31/03/2019
14	रामगोपाल शर्मा, दुबाटी धौलपुर	01.07.1959	30/06/2019
15	हरि सिंह, बसाई सामन्ता धौलपुर	02.07.1959	31/07/2019
16	हरी शंकर, मनिया धौलपुर	01.01.1960	31/12/2019
17	विश्राम सिंह मीना, जगजीवनपुर-वैर भरतपुर	07.11.1959	30/11/2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याता के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-17 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

  
(नथमल डिडेल)


आइ.ए.एस  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक- 12/11/2019

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/10908/सेवानिवृत्ति/हिन्दी/2018-19  
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्यवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वैबसाईट पर अपलोड हेतु
5. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि/संबंधित प्राध्यापक
6. निजी/रक्षित पत्रावली



  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)